

## सुखना झील को पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से हरियाणा के पंचकूला ज़िले में **सुखना वन्यजीव अभयारण्य** के आसपास 1 कमी. से 2.035 कमी. तक के क्षेत्र को **पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** घोषित किया है।

### मुख्य बिंदु

- ESZ का कुल क्षेत्रफल 24.60 वर्ग कमी. है।
- ESZ में नषिद्ध और वनियमति गतिविधियाँ:
  - गतिविधियों को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत वनियमति किया जाता है।
- नषिद्ध गतिविधियाँ:
  - वाणज्यिक **खनन, पत्थर उत्खनन**, पेराई इकाइयाँ और नई सॉमलि या आरा मलिस।
  - **प्रदूषण** (जल, वायु, मृदा, ध्वनी) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।
  - **खतरनाक पदार्थों का** उपयोग या उत्पादन तथा **ईंधन की लकड़ी** का व्यावसायिक उपयोग।
  - प्राकृतिक जल नकियों या भूमा क्षेत्रों में **अनुपचारित अपशिष्टों का नरिवहन**।
- **सुखना वन्यजीव अभयारण्य:**
  - सुखना वन्यजीव अभयारण्य **25.98 वर्ग कमी.** (लगभग 6420 एकड़) में वसित है, जो **केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है** और इसकी **सीमाएँ हरियाणा और पंजाब से लगती हैं**।
  - यह अभयारण्य **शवालिक तलहटी** में स्थित है, जिसे पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
  - यह **वन्यजीव अधिनियम, 1972** की अनुसूची 1 की कम से कम सात पशु प्रजातियों का पर्यावास है, जिनमें **तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, सांभर, सुनहरा सियार, कगि कोबरा, अजगर और गोह (मॉन्टिर छपिकली)** शामिल हैं।
    - अनुसूची 1 की प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है तथा उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, **अनुसूची 2** के पशु प्रजातियों जैसे सरीसृप, तिलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, चढ़ने वाले पौधे, जड़ी-बूटियाँ तथा 250 पक्षी प्रजातियाँ भी इस अभयारण्य में नविस करती हैं।
    - **वर्ष 2020 में**, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **सुखना झील को एक "जीवित इकाई" घोषित किया** और पर्यावरण मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा में अभयारण्य की सीमा से कम से कम 1 कमी. ESZ स्थापित करने का नरिदेश दिया।



## पारस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की [राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना \(2002-2016\)](#) में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारों को [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#) के तहत [राष्ट्रीय उद्यानों](#) और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को पारस्थितिकी रूप से दुर्बल क्षेत्र या पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिए।
- जबकि 10 किलोमीटर का न्यूनतम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वे बड़े पारस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" रखते हैं।

